

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Prashant Memorial Charitable Hospital,
Juran Chapra, Road No-4,
Muzaffarpur 842001

पटना, दिनांक

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूजा कुमारी पति— सुजीत कुमार ग्राम— नई कॉलोनी पोखरियापीर पो०— रमना थाना— काजी मोहम्मदपुर जिला— मुजफ्फरपुर	आर्थो सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) मात्र का क्रास चेक स0 196969..... मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

जापाक 2289(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक

विश्वासभाजन
ह० /—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

13/8/2025

आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी0सी0 कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिद्धेश्वर गोप पिता— वीसुदेव गोप ग्राम— संध पो0+थाना— करायपरसुराय जिला— नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लालती देवी पति— कृष्ण राम माथुरी ग्राम— करायपरशुराय कराई पो0+थाना— करायपरसुराय जिला— नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	अशोक प्रसाद पिता— सुरेश प्रसाद ग्राम+पो0— बाहापर थाना— करायपरसुराय जिला— नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	महेश महतो पिता— वासुदेव महतो ग्राम— कुरी पोखर पो0+थाना— करायपरशुराय जिला— नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	सुनैना देवी पति- राम बिलास ग्राम- कुडपोखर पो0+थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	परमानन्द पासवान पिता- सरूप पासवान ग्राम- कुरी पोखर पो0+थाना- कारायपरशुराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) मात्र का क्रास चेक सं 176767 मूल रूप में संलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2258 (14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

विरेन्द्र सहनी
पिता- शम्भू साहनी
ग्राम- अकबरपुर
पो०- सीतलपुर
थाना- दरियापुर
जिला- सारण
पिनकोड- 841221

पटना दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विरेन्द्र सहनी पिता- शम्भू साहनी ग्राम- अकबरपुर पो०- सीतलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण पिनकोड- 841221	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 34663287248, खाता धारक का नाम- VIRENDRA SAHANI, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड स०- SBIN0005786 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी भद् में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

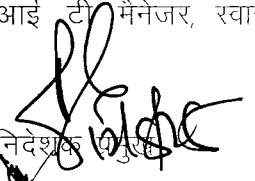
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2288(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176770.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- ◆ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिन्ह (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और आदिल रखें।
- ◆ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ऑटोपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- ◆ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- ◆ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें।
- ◆ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आवेंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI।

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- ◆ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ◆ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- ◆ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ◆ Do not install any application on the advice of strangers.
- ◆ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

Branch: SITALPUR

Code: 5786

Email: sbi.05786@sbi.co.in

Phone No.: 9905797143

IFSC: SBIN0005786

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00

MICR: 841002201

Name: VIRENDRA SAHANI

C/D/H/o : SHAMBHU SAHANI

CIF Number : 88188995814

Account No.: 34663287248

A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT PEHLI UDAAN

Address : s/o sambhu sahani

akbarpur

akbarpur1 sitalpur

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor):

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 02/02/2015

Nom Reg No:

Customer's PAN:

Date of Issue: 28/11/2015

CONTINUATION

Post Code: 84

Sr. Citz Flag:



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

नवीन कुमार यादव
पिता- राम बली यादव
ग्राम- गुठौली
पो०- जाखड
थाना- रोसडा
जिला- समस्तीपुर
पिनकोड- 848216

पटना दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवीन कुमार यादव पिता- राम बली यादव ग्राम- गुठौली पो०- जाखड थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर पिनकोड- 848216	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 32751023775, खाता धारक का नाम- NAVIN KUMAR YADAV, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- ROSERA, IFSC कोड सं०- SBIN0004580 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

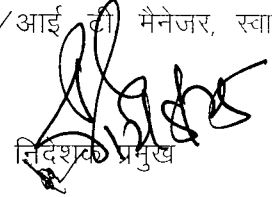
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2287(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

dep = Deposit	Pr = Principal
dr = Draft	proc = Processing Charge
disb = Disbursement	rd = Recurring Deposit
DR = Debit	ret/ra = Return
DOB = Date of Birth	Rnd = Round of
et = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
inop = Inoperative	SC = Short Credit
ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
intn = Interest	S/DW/H = Serv Daughter/Wife/Husband of
loan = Loan	tr/rt/xt = Transfer
min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
os = Outstanding	txn = Transaction
P & T = Postage & Telegram	Wd = Withdrawal
Pos = Point of sale	*MOD ba = total balance (\$B-linked MOD att)

05701/13

State Bank of India

RODENT

STATE BANK OF INDIA, KOLKATA, INDIA

3275/023775

Phone: 227241

Telex: 045200ec

Branch Code: 4580

Date of issue: 05/01/13

05/01/2013 000531

IFSC: SBIN004580

SBIN004580

Branch Manager

HELPLINE: 1800-11-22-11 | 1800-425-3800

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

गुड्डू कुमार

पिता- विश्वनाथ सिंह

ग्राम- बरूआ बहुआरा

पो०- बिदुपुर

थाना- राजापाकर

जिला- वैशाली

पिनकोड- 844502

पटना दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुड्डू कुमार पिता- विश्वनाथ सिंह ग्राम- बरूआ बहुआरा पो०- बिदुपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली पिनकोड- 844502	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 39760383238, खाता धारक का नाम- GUDDU KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- RAJAPAKAR, IFSC कोड सं०- SBIN0014295 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2286(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक पत्र



Clos = Closure/समाप्ती

Coll = Collection/समावृत्त

Comm. = Commission/कमीशन

COR/CORR = Correction/संशोधन

CR = Credit/जमा

Csh = Cash/नकदी

dep = Deposit/जमा

Dft = Draft/ड्राफ्ट

dish/dsh = Dishonor/अस्वीकृत

DR = Debit/नाश

DOB = Date of Birth/जन्म तारीख

eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

Inop = Inoperative/निष्क्रिय

Ins = Insurance/बीमा

Int / In = interest/व्याज

lon/loan/ऋण

min = Minimum/न्यूनतम

os = Outstanding/वसूलावधि

P&T = Postal Charges/डाक प्रभार

Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल

Pr = Principal/मूलधन

proc = Processing Charge/प्रक्रिया शुल्क

rd = Recurring Deposit/आवर्ती जमा

ret/rtn = Return/वापसी

Rnd = Round off/पूर्णांकित

sb = Savings Bank/बचत बैंक

SC = Short Credit/शॉर्ट क्रेडिट

SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश

S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी/पति

tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण

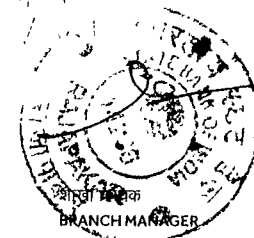
txn = Transaction/लेनदेन

Wdl = Withdrawal/आहरण

+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/कुल जमा शेष (बचत बैंक + सहवर्ती खाता)



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

सत्येन्द्र कुमार राय
पिता- रामअयोध्या राय
ग्राम- धुरवा मठ
पो०- बेतिया डीह
थाना- मनुआपुल
जिला- पश्चिम चम्पारण
पिनकोड- 845438

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्येन्द्र कुमार राय पिता- रामअयोध्या राय ग्राम- धुरवा मठ पो०- बेतिया डीह थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845438	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 35516357435, खाता धारक का नाम- SATYENDRA KUMAR RAI, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SHANTINAGAR, IFSC कोड स०- SBIN0014662 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2285(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

CLOS = Closure/बंद

Coll = Collection/संग्रह

Comm. = Commission/कमीशन

COR/CORR = Correction/दुरुस्ती

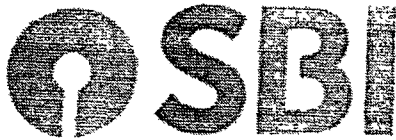
CR = Credit/उप

lon/loan/ऋण

min = Minimum/न्यूनतम

os = Outstanding/बकाया

P&T = Postal Charges/डाक प्रभार



भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Name: SATYENDRA K. JAIN

S/O/H/O

Address

Account No.

A/c Type

Address

Phone No.

Mail

G.O.B. (If Minor)

PPN Number

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	दिनेश भगत पिता—स्व० जागेश्वर भगत ग्राम—मथना माल वार्ड 1 पो०—मथना मिलीक थाना कटरा ओ०पी० जिला—वैशाली एम०सी०एस—एफ 97203	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सीमा देवी पति जय कुमार साह ग्राम—भटौलीया पो०—गिद्धा थाना—सरैया जिला—मुजफ्फरपुर एम०सी०एस— 101159	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	प्रमिला देवी पति—रामनाथ राय ग्राम—मोरसडी पो०—मोरसडी थाना—मोतीपुर जिला—मुजफ्फरपुर एम०सी०एस—एफ 96082	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	योगेन्द्र साह पिता—स्व० सकलदेव साह ग्राम—कमतौल पो०—माधोपुर थाना—ताजपुर जिला समस्तीपुर एम०सी०एस—एफ 99906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	श्याम कुमार पंडित पिता-फौदार पंडित ग्राम-मिश्रौलीया पो0-चोरा टभका थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 13280	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	कमला देवी पति-अमरनाथ प्रसाद ग्राम+पो0-नौबतपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 91319	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	सविता देवी पति-मुकेश राय ग्राम-टहल टोला जिल्काबाद पोस्ट-जिल्काबाद थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	महेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता-श्री प्रसाद गुप्ता ग्राम-किरकिचिया पो0-ढोलबज्जा थाना-फारबीसगज जिला अररिया एम0सी0एस-एफ 97779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	धर्म राय पिता-स्व0 जलेश्वर राय ग्राम+पो0 कचलपुरा थाना-मशरक जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 96036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	काला देवी पति-रामानंद महतो ग्राम+पो0-फुदकीचक थाना-गोगरी जिला खगडिया एम0सी0एस-ई0 71117	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	अमीषा कुमारी पिता नागमणी कुमार ग्राम-केशो बिगहा पो0-पूरा थाना-टिकारी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 92921	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	सुधा कुमारी पति-बृजनन्दन प्रसाद ग्राम-मोहीउदीनपुर पो0-बसवक थाना-इस्लामपुर जिला नालंदा एम0सी0एस-जी0 82	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मान्ती देवी पति-लाल बहादुर बैठा ग्राम-बैरिया वार्ड 41 पो0-चन्द्रहिया थाना-मुफरिसल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मो0 अबुफजल पिता-मो0 शहीद ग्राम-मोगल टोली पो0-परोरा थाना-कै0 नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 99069	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	छगुरी शर्मा पिता-स्व0 सौदागर ताती ग्राम-रामपुर ठुठी पो0-तेमथा थाना-परबता जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 94719	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	लतरमी देवी पति-ललन मोची ग्राम-मसूदनपुर पो0-मसुदनपुर थाना-बलिया जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 98768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कृष्णदेव सिंह पिता-शीतल सिंह ग्राम-काझिया पो0-नाथ नगर थाना-मधुसुदनपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 90889	बोन मैरो ट्रांसलाट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सुनीता देवी पति-छोटक मोची ग्राम-शाहपुर पो0 करजा थाना-बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस-एफ 95573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	उर्मिला देवी पति-भरत भाई पासवान ग्राम-बढौना पो0+थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 99722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मो0 मुमताज पिता लयाकत ग्राम-थवई पोस्ट-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 98144	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	हरिवाला दासी पति-दीन बधु दास ग्राम-झखरा कोलनी वार्ड 12 पो0-झखरा कोलनी थाना-पिपराकोठी जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 83824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मीरा देवी पति-अशोक भगत ग्राम-श्रीपुर पो0-सग्रामपुर थाना-सग्रामपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-एफ 85273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	कौशल्या देवी पति-लक्ष्मण यादव ग्राम-केसठ पो0-केसठ थाना-नावा नगर जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 98099	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	प्रियका जयसवाल पिता-नीरज कुमार जयसवाल ग्राम-इद्रा नगर निगम रोड छपरा पो0-छपरा थाना-नगर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 99436	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	शबीना बेगम पति/पिता-फकीर मोहम्मद ग्राम-बरूहा मटियारी पो0-मटियारी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	तिजिया देवी पति-राजदेव प्रसाद ग्राम-रूपये पो0 कान्ती थाना-सिरदला जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 98895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	बतुलन खातुन पति-औसेद असारी ग्राम-अम्बा ओझा टोला पो0-अम्बा कला थाना-पीपराही जिला-शिवहर एम0सी0एस-एफ 98394	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	फरीदा खातुन पिता-मो0 सगीर ग्राम-इब्राहीम शहीद छोटी मस्जिद पो0-दाउद नगर थाना दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 99550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	हरिमया देवी पति-महेन्द्र पटवारी ग्राम-बैरिया कला पो0-हरनाटाड थाना-लौकरिया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 16612	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	सध्या देवी पति-राजीव कुमार ग्राम-चादसराय पो0-चादसराय थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली एम0सी0एस-ई0 86237	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
31	सुनिया देवी पति-बेचन दास ग्राम-नीगा पो0-नीगा थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 98762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	नीलम देवी पति-सतोष कुमार राय ग्राम-कोटीया पो0-फुर्सतपुर थाना-डेरनी जिला सारण एम0सी0एस-एफ 91889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	बिजली देवी पति-बलिराम दास ग्राम-बिजी पो0-बिजी थाना-कोढा जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 123	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	शकुन्तला देवी पति-रविन्द्र प्रसाद राय ग्राम+पो0-मोरवा थाना-मोरवा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 79726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	केदार प्रसाद पिता-स्व0 रामचन्द्र प्रसाद ग्राम-बिहिया वार्ड 14 पो0-बिहिया थाना-बिहिया जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 94814	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुभद्रा देवी पति-सत्य नारायण वर्णवाल ग्राम-कटोरिया पो0-कटोरिया थाना-कटोरिया जिला-बाका एम0सी0एस-ई0 35807	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
37	मुरारी यादव पिता-धूरी यादव ग्राम-महानन्दपुर पो0-उदामा थाना-अस्थावा जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 98347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	जुली कुमारी पिता इंदल दास ग्राम-हीरातोल पो0-रहीमपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 99066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	आशा देवी पति-स्व0 रामनाथ साह ग्राम-चन्दवारा वार्ड 06 पो0-करताहा थाना-करताहा जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 98476	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	अमित कुमार पिता—किरण साह ग्राम—नावाडीह पो0—टेलवा बाजार थाना—सिमुलतला जिला—जमुई एम0सी0एस—एफ 93625	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
41	मास्टर आर्यन कुमार पिता—अरुण राम ग्राम—जोगोलीया टोला पो0—रूपानी थाना—मधुवन पी0एस0 जिला—पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस—एफ 98693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	शिवनाथ रजक पिता—सोहन रजक ग्राम—सिमरिया पो0—जोकीहाट थाना—जोकीहाट जिला—अररिया एम0सी0एस—एफ 69692	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	कैलाश साहु पिता बालमुकुन्द साहु ग्राम—सोहमा पो0—सोहमा थाना—बिथान जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—जी0 374	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	झुलिया देवी पति—राज कुमार राय ग्राम—सोरकाही पो0—शहीदगज थाना धमदाहा जिला पूर्णिया एम0सी0एस—एफ 99860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मजुर आलम पिता—फतेह मोहम्मद ग्राम—पी टी डुमरिया पो0—पी टी डुमरिया थाना—महलगाव जिला अररिया एम0सी0एस—एफ 99558	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	सुमित्रा देवी पति—रघुनन्दन सहनी ग्राम—लखनीपुर महेशपट्टी वार्ड 6 पो0—लखनीपुर महेशपट्टी थाना—उजियारपुर जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—एफ 84110	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

47	राजेश पासवान पिता-शम्भु पासवान ग्राम-बकुआ पो0-भरगामा थाना-भेजा जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 99991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	जितेन्द्र पासवान पिता-बोगी पासवान ग्राम-लोदीपुर कला पो0-सदर भागलपुर थाना-लोदीपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99398	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	सजु कुमारी पति बिमलेश कुमार ग्राम-इटवा पो0-रामपुर चौरम थाना-'रामपुर चौरम जिला-अरवल एम0सी0एस- एफ 84154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	पारस राय पिता-लालजी राय ग्राम+पो0-खरिका थाना-पहलेजा ओ0पी0 जिला-सारण एम0सी0एस- एफ 99870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	तारा देवी पति-नवल किशोर शर्मा ग्राम-सर्वोदय नगर पो0-मघडा थाना-दीप नगर जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सुरेन्द्र मडल पिता-स्व0 सुखदेव मडल ग्राम-लक्ष्मीपुर पोस्ट-परमानंदपुर थाना-रानीगज जिला-अररिया एम0सी0एस- एफ 83526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	शाबो देवी पति-अर्जुन ठाकुर ग्राम-निखरैल पोस्ट-बभनी थाना-डगरुआ जिला-पूर्णिया एम0सी0एस- एफ 98787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	जितेन्द्र कुमार पिता—स्व० विशेश्वर यादव ग्राम—कल्याणपुर पो०—तुगी थाना—दीप नगर जिला—नालदा एम०सी०एस—जी० 19	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अनिल कुमार राय पिता—उपेन्द्र राय ग्राम—मुकुदपुर पो०—डुमरी थाना—सराय जिला वैशाली एम०सी०एस जी० 518	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	राज कुमार महतो पिता—स्व० सीता राम महतो ग्राम—छोटी पहाडी पो०—बडी पहाडी थाना—अगमकुआ जिला पटना एम०सी०एस—एफ 99467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	वकील शर्मा पिता—जागेश्वर शर्मा ग्राम—महेशामुण्डा पो०—महेशामुण्डा थाना—कहलगाव जिला भागलपुर एम०सी०एस—डी० 20657	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	रेखा देवी पति—हरे राम पोद्दार ग्राम—जयलख अभिमान पो०—शकरपुरा थाना—बखरी जिला—बेगुसराय एम०सी०एस— एफ 96274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	मो० मजर आलम पिता—गुलाम मुस्तफा ग्राम—गिरदा अब्दुल टोला पो०—जोकी हाट थाना—जोकीहाट जिला—अररिया एम०सी०एस— एफ 97858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	अकबर हुसैन पिता— इब्राहिम हुसैन ग्राम— आलम गज पथरी घाट पठान टोली मस्जिद पो०— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना एमसीएस न०— एफ 94786	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

61	शोभा देवी पति- दशरथ प्रसाद ग्राम- कस्तुरीचक पो0+थाना- नयागाव जिला- सारण एमसीएस न0- ई 18336	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
62	पिकी देवी पति- पिटू सिंह ग्राम- लौका पो0- कुझैरी थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा एमसीएस न0- एफ 83108	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	रुबी देवी पति- प्रदीप राय ग्राम- हल्दी छपरा सात आना मनेर पो0+थाना- मनेर जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 99211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	सगीता देवी पति- अजय गिरी ग्राम- कैथबलिया वार्ड 01 पो0- सासामुसा थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज एमसीएस नं0- एफ 43841	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			46,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 46,30,000/- (छियालीस लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2233(14)

पटना, दिनांक

13/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमेश गुप्ता पिता-जामुन साह ग्राम-दौलतपुर चादी वार्ड 02 पो0-हरौली थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली सीआरन0-108112500534213	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राज कुमारी देवी पति-बेचन यादव ग्राम-भेलवा पो0-अलोला थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112501740666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उमेश कुमार यादव पिता सत्य नारायण यादव ग्राम-बेलसारा वार्ड 01 पो0-बेलसारा थाना-रानीगज जिला-अररिया सीआरन0-108112501466947	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अनिता कुमारी पिता-बीरबल कुमार ग्राम+पो0-बदेया थाना-मखदुमपुर जिला जहानाबाद सीआरन0-108112403613036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रामा देवी पति-योगिन्दर सिंह ग्राम-दगसी पो0-दगसी थाना-सिधवलिया जिला-गोपालगज सीआरन0-108112501625361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	नरेश राय पिता-दीप नारायण राय ग्राम-बावनघाट पो0-अदलपुर थाना-महुआ जिला वैशाली सीआरन0-108112500317077	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राजबलम कुमार पिता-सीता राम राय ग्राम-मरुई वार्ड 03 पो0-मरुई थाना-पातेपुर जिला वैशाली सीआरन0-108112300921336	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	बसंत प्रसाद सिंह पिता-धीरो सिंह ग्राम-बहादुरपुर वार्ड 04 पोस्ट-सिमरिया थाना-कजरैली जिला-भागलपुर सीआरन0-108112501344094	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	विनदिया देवी पति-सुरेश चौधरी ग्राम-शरीफाबाद पो0-आत्मा थाना-इस्लामपुर जिला नालन्दा सीआरन0-108112501004561	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	रीना देवी पति-रजय सिंह ग्राम-खभैनी पो0-खभैनी थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल सीआरन0-108112501992088	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सुधा देवी पति-सविनय प्रसाद यादव ग्राम-सिरिसिया पो0-बथनाहा थाना-पिपराकोटी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501406201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मुकेश चौपाल पिता-राजेन्द्र चौपाल ग्राम-नवादा वार्ड 01 पो0-तेलवा थाना-महिषी जिला-सहरसा सीआरन0-108112400517575	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	शभु सहनी पिता-गया सहनी ग्राम-झीटकहीया वार्ड 01 पो0-झीकटहीया थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501813531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुनील राम पिता-कन्हैया राम ग्राम-वीणा वार्ड 07 पो0 वीणा थाना+जिला सुपौल सीआरन0-108112300137406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	अनेकफुल देवी पति-भुल्लर सिंह ग्राम+पो0-बेलवर थाना-बेलसर ओ0पी0 जिला-वैशाली सीआरन0-108112501843660	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	विजय हजरा पिता राजा राम हजरा ग्राम-कस्वा लौखान पोस्ट-लौखान थाना-घोडा साहन जिला पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112401625240	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	बिंदु देवी पति-स्व0 गौरी शकर प्रसाद ग्राम-चैलिटाल महावीर लेन पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला पटना सीआरन0-108112501536341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	कविता देवी पति-रजीत कुमार ग्राम-अहुना वार्ड 5 पो0-चादपुरा खुर्द थाना-अलौली जिला खगडिया सीआरन0-108112300306437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	परमेश्वर प्रसाद पिता-महादेव प्रसाद ग्राम-सेमरा खास पोस्ट-सेमरा बाजार थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501255326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अभिषेक कुमार पिता-लतर यादव ग्राम-छपराडी वार्ड 02 पो0-कुआढ थाना-खजौली जिला-मधुबनी सीआरन0-108112400437857	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	सन्नी कुमार पिता-कामदेव पासवान ग्राम-बिस्टौल पो0-कुम्हावन थाना-जहानाबाद नगर जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112500827709	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	गीता देवी पति-बिन्देश्वरी पंडित ग्राम-भोजपुर पो0-मथुरा साहेबगज थाना-बेलहर जिला-बाका सीआरन0-108112500296029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	बौआ लाल मडल पिता-लखन मडल ग्राम-हरिपुर वार्ड 15 पो0-हरिपुर थाना-छातापुर जिला-सुपौल सीआरन0-108112501161020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	ऐसा परवीन पति-जमाल असारी ग्राम-सुरबीर पो0-पटेढी थाना-महाराजगज जिला सीवान सीआरन0-108112501799407	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	गौरी देवी पति-कुणाल सहनी ग्राम-कचहरी ढाला वार्ड 01 / 06, पो0-सहरसा थाना-जिला-सहरसा सीआरन0-108112501709874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	भोगेन्द्र राय पिता-राम अवतार राय ग्राम-खरगामा पो0-अमौजा थाना-फुलपरास जिला मधुबनी सीआरन0-108112501430462	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
27	अफसाना बेगम पति-सैयद आबिद अली ग्राम-नौवाडीह वार्ड 03 पो0-सुगौली थाना-सुगौली जिला पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112501714355	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
28	महेन्द्र ठाकुर पिता स्व0 गणेश ठाकुर ग्राम-दादपुर वार्ड 02 पोस्ट-लोकमानपुर थाना-खरिक जिला-भागलपुर सीआरन0-108112501836566	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
29	प्रमिला देवी पति-शिवजी साहु ग्राम-देवकुलीधाम पो0-देवकुलीधाम थाना-बिरोल जिला दरभंगा सीआरन0-108112300678962	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	गजाधर यादव पिता-जागो यादव ग्राम-खुझा पो0-सभरी थाना-नारदीगज जिला-नवादा सीआरन0-108112501347891	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
31	गया प्रसाद पिता-स्व0 विपत प्रसाद ग्राम-बैकुठवा पो0-खडा कुजाल्हि थाना-नौतन जिला प0 चम्पारण सीआरन0-108112501822492	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
32	रमेश चन्द्र मिश्रा पिता-अनमोल मिश्रा ग्राम-बेला पो0-कृष्णगढ थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर सीआरन0-108112500398735	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

33	मीना देवी पति-वासु साह ग्राम-शेरपुर मानिकपुर 13 पो0-बनबोहरन थाना-महुआ जिला वैशाली सीआरन0-108112401144861	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	सगीता देवी पति-दिनेश प्रसाद ग्राम-बिशवनीयों पो0-बिशवनीयों थाना-दरौली जिला सीवान सीआरन0-108112501608601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	पार्वती शर्मा पति उमेश शर्मा ग्राम-अदर किला हेला बाजार हाजीपुर पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली सीआरन0-108112501868018	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	गुडडी देवी पति-मोहन झा ग्राम-पलासमनी पो-चिकनिघात थाना-सोनमणी जिला-अररिया सीआरन0-108112501900566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	विजय सिंह पिता-शिव केशर सिंह ग्राम-मखदुमपुर पो0-अरवल थाना-जिला-अरवल सीआरन0-108112501713448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	चन्द्र देव महतो पिता-रामा महतो ग्राम-हरपुर कलां वार्ड 06 पो0-हरपुर कलां थाना-मजोरगज जिला-सीतामढी सीआरन0-108112501869871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	काजल कुमारी पिता गुलाब राय ग्राम-श्रीनाथ पारन भरजा 02 पो0-सोरमार बघला थाना-चकमहेशी जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112501855226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	केदुला देवी पति-इन्द्रदेव यादव ग्राम-तमकुलहा वार्ड 09 पोस्ट-बरैठ थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा सीआरन0-108112501766053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	फुलदाय देवी पति-बाबाजी यादव ग्राम-परमानदपुर पो0-दिनमो थाना के0 अस्थान जिला-दरभंगा सीआरन0-108112501883742	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	अमित कुमार पिता-मंगल महतो ग्राम-टाडा पो0-मोहउद्दीन नगर आर0एस थाना-मोहिउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112501842817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	मीनाक्षी कुमारी पति-नवीन कुमार ग्राम-हसनपुरा वार्ड 06 पो0-गिद्धा थाना-शकरपुर जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112500677405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	गुलशन खातुन पति-मो0 इसराईल ग्राम-कोरई पो0-कोरई थाना-गढपुरा जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112501129304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	गौरी देवी पति-रविन्द्र प्रसाद ग्राम-अब्दुल्लाहचक वार्ड 13 पो0-उसफा थाना-गौरीचक जिला-पटना सीआरन0-108112501518297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	धर्मशीला देवी पति-कामेश्वर प्रसाद चौरसीया ग्राम-अचितपुर वार्ड 13 पो0-इसुआपुर थाना-इसुआपुर जिला-सारण सीआरन0-108112501841748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	तिलीया देवी पति-बच्चु चौधरी ग्राम-कुसमी पो0-सरबेला थाना-बनमा इटहरी जिला-सहरसा सीआरन0-108112501688222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मुसमात भागमनिया पति-ईश्वर महतो ग्राम-करहि खुर्द पो0-बसतपुर थाना-बसतपुर जिला सीवान सीआरन0-108112501968586	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	सैना देवी पति-उमा शंकर मिश्रा ग्राम-बखरा वार्ड 11 पो0-बखरा थाना सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112500021267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	देवकली देवी पति-हरि किशोर राय ग्राम-धरफरी वार्ड 13 पोस्ट-धरफरी थाना-देवरिया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112501540365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सजय पोद्दार पिता-राम सुन्दर पोद्दार ग्राम-बासुदेवा पो0-बासुदेवा थाना-घैलाढ जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112501807981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	हीरा खान पिता-हबीब खान ग्राम-चक मिल्की पो0-कुसैया थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112403772967	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	मोहम्मद कलाम पिता-मोहम्मद सद्दीक ग्राम-बेला पारसमणि पो0-पुरन थाना-सुपौल जिला-सुपौल सीआरन0-108112501394431	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

54	अनिता देवी पति-सुनील राम ग्राम-बराहरूप वार्ड 10 पो0-वारिसपुर थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली सीआरन0-108112501206490	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	बीबी तजीला पिता मो0 कलीम ग्राम-हकीम साह मोहम्मद लेन पो0-चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला भागलपुर सीआरन0-108112501211744	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
56	सजीदा खातुन पति-जफीर आलम ग्राम-बिरदीपुर पो0-अरई बिरदीपुर थाना-सिमरी जिला-दरभंगा सीआरन0-108112501866040	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
57	अमित कुमार पिता-पवन गुप्ता ग्राम-तामोट परसा 03 पो0-तामोट परसा थाना-मुरलीगज जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112300869083	पोस्ट ट्रास्लाट	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
58	अमन कुमार पिता-अजनी कुमार ग्राम-पाली पो0 नौबतपुर थाना-नौबतपुर जिला पटना सीआरन0-108112300155811	पोस्ट ट्रास्लाट	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
59	विकास कुमार पिता-राजेश साह ग्राम+पो0-बाजिदपुर थाना-विद्यापती नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112403658978	DPGN	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
60	ऋषभ कुमार पिता-उमेश कुमार यादव ग्राम-बहुअरवा बाबु टोला पो0-बहुअरवा थाना-मझौलीया जिला प0 चम्पारण सीआरन0-108112501847690	कोकलीयर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

61	प्रमिला देवी पति—लक्ष्मण वर्मा ग्राम—समसारा पो0—सदीसोपुर थाना—बिहटा जिला पटना सीआरन0—108112501733091	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
62	दिनेश सिंह पिता—परमानंद सिंह ग्राम—कोरियम पो0—बारा थाना—अरवल जिला अरवल सीआरन0—108112501489653	हृदय रोग सी0ए0डी0	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
63	त्रिलोक कुमार नायक पिता—रविन्द्र चन्द्र नायक ग्राम—पिपराउ वार्ड 12 पो0—पिपरा थाना—पिपरा जिला—सुपौल सीआरन0—108112501766894	हृदय रोग भी0 एस0 डी0	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
64	विजय यादव पिता—राम जन्म राय ग्राम—परेवा पो0—कपुर पकडी थाना—शिकारगज जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरन0—108112403855587	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
65	राम सागर कुमार पिता—महादेव साह ग्राम—सूरत गूज नोनीया टोला पो0—मधुबनी थाना—टाउन जिला—मधुबनी सीआरन0—108112501171815	हृदय रोग सी0टी0भी 0 एस0	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
66	अभिषेक कुमार पिता—छोटे लाल पटेल ग्राम—भगवानपुर पो0—बिनही थाना—मितहॉ जिला—प0 चम्पारण सीआरन0—108112501809241	कोकलीयर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
67	द्वारिका प्रसाद सिंह पिता—राम पुजन सिंह ग्राम—सनपतहा पो0—ठाढी थाना—लदनियॉ जिला—मधुबनी सीआरन0—108112501931968	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।

68	अनुष्का कुमारी पिता-सुजीत पटेल ग्राम-अदलपुर वार्ड 06 पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली सीआरन0-108112300185605	Lupus nephritis on ISA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
69	अगद कुमार पिता-नद किशोर राय ग्राम भगवतपुर पो0-थर्मा थाना गाय घाट जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112300844421	पोस्ट ट्रासलाट	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
70	गायत्री देवी पति-विशेश्वर यादव ग्राम-हरिराहा पो0-मखनाहा थाना-आधरामठ जिला मधुबनी सीआरन0-108112300899675	हिप रिपलेरमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
71	धनमती कुमारी पिता बगाली राम ग्राम-लतियाही 12 पो0-अधरा थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112401922694	lupus nephritis	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
72	राम कुमार रमण पिता-विन्देश्वरी यादव ग्राम+पो0-सहुरिया पूर्वी थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा सीआरन0-108112300408621	DM/HT N	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
73	पटवारी मडल पिता-गरीब मडल ग्राम-फनहन वार्ड 12 पो0-रहटा थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112501709785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	मुक्ता देवी पति-राजेश कुमार रजन ग्राम-जमालपुर पो0-छटियारी थाना-मखदुमपुर जिल-जहानाबाद सीआरन0-108112501320047	स्पाइन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

75	रेखा देवी पति-राजेश्वरी प्रसाद सिन्हा ग्राम-सलेमपुर पो0-सलेमपुर थाना-कराय पर सुराय जिला-नालदा सीआरन0-108112501413576	हिप रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
76	सीता देवी पति- बिदेश्वर राय ग्राम- अगरपुर पो0+थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501811211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	सतोष कुमार पिता- उमानाथ प्रसाद ग्राम- आर्य नगर पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर न0- 108112502067833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रेखा देवी पति- विनय कुमार ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500265506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	विनय कुमार सिन्हा पिता- शिवनंदन प्रसाद ग्राम- मखदुमपुर पो0- पवई थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501898774	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
80	गुडिया देवी पति- संतोष कुमार सिंह ग्राम- धपच्छुहा पो0- सिकरौल लख थाना- नावानगर जिला- बक्सर सीआर नं0- 108112500236891	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
81	उर्मिला देवी पति- रामनाथ कामत ग्राम- देवनाथपट्टी वार्ड 05 पो0- हतनी थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112301006500	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	मणिमाला सिन्हा पति- विजय कुमार सिन्हा ग्राम- आर एस टेक बलभद्रपुर पो0- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403323291	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
83	रमावती देवी पति- कैलाश साह ग्राम- रौटा श्रीपुर पो0+थाना- रौटा जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500026803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	चंद्र देव प्रसाद पिता- दुर्गा प्रसाद ग्राम- भडकुइया वार्ड 10 पो0+थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112501868239	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
85	रीना देवी पति- अजय कुवर ग्राम+पो0- हरिहरपुर वार्ड 12 थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500026781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	अहिल्या देवी पति- सजय प्रसाद साह ग्राम- गवन्द्री वार्ड 08 पो0- गवन्द्री थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 108112400688469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सुरेन्द्र कुमार पिता- स्व0 हिरदय नारायण सिंह ग्राम+पो0- कोइल भुपत थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल सीआर न0- 108112501574871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	मोहन साव पिता- रामचंद्र साव ग्राम- धाटकुसुम्भा वार्ड 07 पो0- डीहकुसुम्भा थाना- बाउघाट जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112402632835	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

89	चिरजीव भडारी पिता- तिलकेश्वर भडारी ग्राम+पो0- ताजपुर थाना- झझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300689859	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
90	मो0 नेयाज पिता- मो0 सेराजुद्दीन ग्राम- बिसाती पट्टी नियर पच मदिर चौक वार्ड 20 पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112300046761	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
91	अमित पासवान पिता- चदेश्वर पासवान ग्राम+पो0- नरहरपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112401270794	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
92	शोभा देवी पति- रविद्र पासवान ग्राम- बाजितपुर वार्ड 03 पो0- महम्मना थाना- टिकारी जिला- गया सीआर न0- 108112301077911	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
93	बिरजू चौधरी पिता- किशुन चौधरी ग्राम- डीह मकनपुर पो0- केवटी थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112500516291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	ममता देवी पति- सुनील झा ग्राम+पो0+थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402068751	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
95	राजकुमार पासवान पिता- दुखी पासवान ग्राम+पो0- आमगाछी थाना- सिकटी जिला- अररिया सीआर न0- 108112300015173	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

96	चदा देवी पति- सुबोध कुमार ग्राम- तेल्हाडा वार्ड 14 पो0+थाना- तेल्हारा जिला- नालदा सीआर न0- 108112300270475	नी रिप्लेसमेंट	1,45,000	एक लाख पैतालीस हजार स्वीकृत।
			79,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 79,95,000/- (उनासी लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाता स0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2234(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 सी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक. . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० अनवर हुसैन पिता- अब्दुल हफिज असारी ग्राम- रामपुर सिघाडा पो०- सिघाडा थाना- महुआ जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	प्यारी देवी पति- जगदीप सिंह ग्राम- चौसिमा वार्ड 14 पो०- नरहरपुर थाना- जब्दाहा जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मो० औरंगजेब पिता- मो० महमद हसन ग्राम- बिशुनपुरवा वार्ड 15 पो०- महुआवा थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	नागेद्र सिंह पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम- चैता वार्ड 01 पो०- चैता थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	गौतमी देवी पति- महेश प्रसाद गुप्ता ग्राम.पो0+थाना- हलसी जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	घनश्याम साह पिता- जगनारायण साह ग्राम- सपतचक वार्ड 18 पो0- सोनागोपालपुर थाना- गोपालपुर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	चंद्रशेखर प्रसाद पिता- स्व0 रामबरन प्रसाद ग्राम- अकबरपुर सीतालपुर वार्ड 15 पो0- सीतलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	मार्कण्डेय तिवारी पिता- हरिद्वार तिवारी ग्राम- धमवल पो0- चमरपुर थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	सत लाल प्रसाद पिता- स्व0 अच्छेलाल प्रसाद ग्राम- ब्रह्म सीन कुथौल वार्ड 11 पो0- कुथौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			8,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2235 (14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०... 176970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवीन राय पिता— सूर्यदेव राय ग्राम— चकियारी पो०— विष्णुपुर तीतिधा थाना— राजापाकर जिला— वैशाली	कैंसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राकेश कुमार पिता— रजनी कात सिंह ग्राम+पो०— मोरसड थाना— पूसा जिला— समस्तीपुर	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	रिशव कुमार पिता— उदय प्रताप सिंह ग्राम— कोलवारा वार्ड 06 पो०— कोलवारा थाना— जैतपुर जिला— मुजफ्फरपुर	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत।
4	सुनील कुमार पिता— बिन्देश्वरी प्रसाद यादव ग्राम+पो०— बेहरारी थाना— सिहेश्वर जिला— मधेपुरा	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत

5	मिट्टु कुमार पिता- लखन पंडित ग्राम- विष्णुपुर पो0- माली थाना- बेलदौर जिला- खगडिया	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	पुष्पा कुमारी त्रिपाठी पति- बैकुंठ पांडेय ग्राम- न्यू एरिया पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	महेश्वर चौहान पिता- जानकी चौहान ग्राम- चमनपुरा पो0- फाग थाना- गोह जिला- औरंगाबाद	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	जगत किशोर प्रसाद पिता- बसंत लाल ग्राम- रामचंद्रपुर पो0- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	पंकज कुमार पिता- राज कुमार पंडित ग्राम- राजीव नगर रोड 21 पो0- केशरी नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	चिता देवी साव पति- गरभू साव ग्राम+पो0- घोसतावा थाना- कादिरगज जिला- नवादा	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	रवि कुमार रजन पिता- सरवन सिंह ग्राम- केशवरपुर वार्ड 01 पो0- चासी थाना- नारायणपुर जिला- भोजपुर	Ankylosing Spondylitis	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	गुडिया कुमारी पति- पिटू कुमार माझी ग्राम- पोखरभिण्डा पो0- कोपा सम्हौता थाना- कोपा जिला- सारण	LETM	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

13	माणिक प्रकाश पिता- अजय कुमार साह ग्राम- दलहाता पो0- मुगेर थाना- कोतवाली जिला- मुगेर	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	तारा नद सिंह पिता- राम क्रिपल सिंह ग्राम+पो0- हरहच्चा थाना- बहेरी जिला- दरभंगा	Left knee replacement	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
15	दिनेश साह पिता- बाबू लाल साह ग्राम- भवानीपुर पो0+थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
16	शोमन सहनी पिता- झगरू सहनी ग्राम- लखौरा ब्रह्म टोला पो0+थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण	ट्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
17	दिलीप पासवान पिता- बदरी पासवान ग्राम-चादपुरा पो0+थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	रोहित कुमार पिता- मनोज राय ग्राम- छोटा झाउआ पो0- झाउआ थाना- अवतारनगर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
19	वीणा देवी पति- वैकुण्ड भगत ग्राम- मोहनगज पो0+थाना- तारापुर जिला- मुगेर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	मोन्टी कुमार पिता- उदय कुमार ग्राम- कोरनवा पो0- गनपुरा थाना- वेना जिला- नालदा	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
21	पुष्पा सिन्हा पति- निखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ग्राम- चादमारी रौंड गलील 05 हनुमान पथ पो0- होलिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

22	रीना कुमारी पति— अभिषेक राज ग्राम— घुरमुरिया पो0— सुघरी थाना— गोविन्दपुर जिला— नवादा	हृदय रोग एएसडी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	भानु प्रिया पति— मनोज कुमार ग्राम— रामजीचक पो0— बाटागज थाना— दीघा जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मधु सिंह पति— शशि भूषण सिंह ग्राम— साँचीपट्टी पो0+थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
25	सध्या कुमारी पिता— उपेन्द्र सिंह भोगता ग्राम— कोकन वार्ड 04 पो0— पिपरा थाना— डुमरिया जिला— गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	राकेश कुमार रौशन पिता— विद्यानन्द सिंह ग्राम— कनसारा पो0— कोच्चास थाना— किजर जिला— अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	तारामणि देवी पति— अनिल कुमार सिंह ग्राम— थाना रोड लखीबाग पो0+थाना— मसौढी जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सुनीता कुमारी पति— मुन्ना कुमार ग्राम— नेउरी पो0+थाना— नेउरा जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सतोष कुमार पिता— मुकेश सिंह ग्राम— पररी पो0— बुढवा थाना— अलौली जिला— खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

30	शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता— राम नगीना सिंह ग्राम— आई ओ सी कॉलोनी पो0— बहादुरपुर थाना— अगमकुआ जिला— पटना	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
31	पुष्पा देवी पति— मनोज यादव ग्राम+पो0— गौरा थाना— मढौरा जिला— सारण	Nephrectomy Surgery	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
32	दुलारचंद यादव पिता— कपिलदेव यादव ग्राम— लालपुर पो0— डरहार थाना— नवहट्टा जिला— सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	सबिता देवी पति— हरिशंकर प्रसाद ग्राम— मौना मेन रोड गाँधी चौक छपरा पो0— साहेबगंज थाना— नगर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	विन्देश्वरी ठाकुर पिता— स्व० परम ठाकुर ग्राम+पो0— खरिका थाना— पहलेजा जिला— सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	अखिलेश कुमार पिता— शिवनारायण मंडल ग्राम— बुद्धचक पो0— अरजपुर थाना— चौसा जिला— मधेपुरा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
36	अनामिका कुमारी पिता— महावीर प्रसाद ग्राम+पो0— नगवा थाना— सिमरी जिला— बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	मोनू कुमार पिता— अमरेश पासवान ग्राम— नूरपुर राजे खाप पो0+थाना— गुरुआ जिला— गयाजी	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

38	स्नेहा कुमारी पिता— रतनजोत कुमार ग्राम— रसलपुर पो0+थाना— बिद जिला— नालंदा	अप्लास्टिक एनिमिया	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
39	कृतिका कुमारी पिता— गौतम उपाध्याय ग्राम— कतरी पो0— दनारा थाना— बिक्रम जिला— पटना	Wilson's Disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
40	रवि कुमार पिता— रमेश प्रसाद साह ग्राम+पो0— केरवां थाना— इसुआपुर जिला— सारण	LETM	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
41	सुधीर कुमार पिता— रामाशीष यादव ग्राम— मजाठी पो0— खजुरी थाना— कोच जिला— गयाजी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	उमेश प्रसाद पिता— रामचंद्र प्रसाद ग्राम+पो0+थाना— कन्हौली जिला— सीतामढी	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			35,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 35,90,000/- (पैंतीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 176970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं BKID 0005793 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

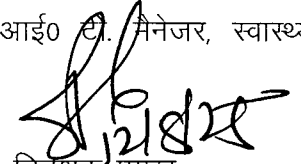
ज्ञापाक 2236 (14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनिष कुमार पिता- सोनू राम ग्राम- खोखना वार्ड 04 पो0- सुल्तानपुर थाना- फतुआ जिला- पटना	हृदय रोग एवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	निर्मला देवी पति- पकज कुमार ग्राम- धरमौलि वार्ड 01 पो0- मुबारकपुर थाना- मढौरा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 2,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2237(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करने हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार यादव पिता- विष्णुदेव यादव ग्राम- महिसाकोल पो०- बांसबारी थाना+जिला- अररिया रजि नं०- 3000587485	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	धर्मेन्द्र राय पिता- सूरेश राय ग्राम+पो०- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 3000591097	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मुरारी पंडित पिता- उनीत पंडित ग्राम- रूपनी पो०+थाना- चौथम जिला- खगडिया यूएचआईडी नं०- 3000572017	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	ज्ञाती देवी पति- बैरिस्टर प्रसाद ग्राम- राजापुर पो०- खजूरी थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज यूएचआईडी नं०- 3000575496	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	मास्टर रॉकी कुमार पिता- अजय कुमार यादव ग्राम- कुकियासिन पो०- बीजू बिगहा थाना- बुनियादगंज जिला- गयाजी यूएचआईडी नं०- 3000590536	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	अबू ताहिर पिता- फजलूर रहमान ग्राम- श्रपुर मल्लाहटोली पो0- चरैया थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न0- 3000586162	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	सिकन्दर प्रसाद पिता- छोटे लाल ग्राम- दीघा घाट पोस्ट ऑफिस रोड हरिजन टोली पो0- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000592242	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	उमरावती देवी पति- लालबाबू राय ग्राम- धर्मपुर पो0- बाकरपुर जगत थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 30000581705	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	आशा देवी पति- ब्रज भूषण ओझा ग्राम+पो0- जयथर थाना- तरैया जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000475780	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	वर्षा कुमारी पिता- घनश्याम ठाकुर ग्राम- कोवाकोली पो0- नाथनगर थाना- मधुसुदनपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी न0- 3000509486	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	बबली कुमारी पिता- किशोरी राम ग्राम- विजय बिगहा बडकी डेल्हा पो0- रेलवे स्टेशन गया थाना- देलाहा जिला- गयाजी यूएचआईडी न0- 3000333294	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	मुकेश मेहता पिता- तारा चंद मेहता ग्राम- उदयनगर पो0- चनका थाना- श्रीनगर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न0- 3000588725	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

13	रामेश्वरी देवी पति- जनवरी लाल ग्राम+पो0- पटनी थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि न0- 2000556560	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
14	राधेश्याम तिवारी पिता- स्व0 नदकिशोर तिवारी ग्राम+पो0- मनियारपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली रजि न0- 3000001259	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	आदित्य राज पिता- जगदम्बी प्रसाद सिंह ग्राम- औलियाबाद पो0- झंडापुर थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी न0- 3000566949	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
16	ओम प्रकाश यादव पिता- मुतूर यादव ग्राम- कुटिया पो0- छितौना थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज यूएचआईडी न0- 3000570072	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
17	अबसर आलम पिता- ऐनुल हक ग्राम- मिर्जाबाग वार्ड 15 पो0- काशीबाडी हाट थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज यूएचआईडी न0- 3000571400	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			14,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,15,000/- (चौदह लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176970... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2238(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुबी कुमारी पति- दीपक कुमार सिंह ग्राम- भरखर पो०+थाना- मोहनिया जिला- कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	गुलशन कुमार पिता- रजन कुमार महतो ग्राम- इटवा सादपुर पो०- राजवाडा थाना- अमरपुर जिला- बांका	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	शिव शंकर सिंह पिता- स्व० कैल्श सिंह ग्राम- मालपुर पो०+थाना- खुशरूपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	मो० सनाउल्लाह असारी पिता- मो० हासिम ग्राम+पो०+थाना- परिहार जिला- सीतामढ़ी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	विकास कुमार पिता- दशरथ सिंह ग्राम- बेलबनवा वार्ड 23 पो०- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- टाउन जिलर- पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	मोनिता कुमारी पिता- अरविद प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	रवि रोशन कुमार पिता- विरेन्द्र सिंह ग्राम- जगदीशपुर पो0- दरियापुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	महेन्द्र यादव पिता- मंशी यादव ग्राम- कपसांडी पो0- दतरौल थाना- पकरीबरावां जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	उर्मिला देवी पति- अरुण चौहान ग्राम- सिरपतिया पो0- सबहरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	कलावती देवी पिता- झगरू साहनी ग्राम- लखौरा भ्रम टोला पो0+थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	गणेश राय पिता- मुस्कार राय ग्राम- बरियारपुर पो0+थाना- ब्रिख्तियारपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	मोती देवी पति- अश्लेष सिंह ग्राम- पी0सी0 कॉलोनी लोहिया नगर पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	जी0 एस0 गिरी पिता- रामनरेश गिरी ग्राम- चटिया टोला मानपुर पो0- चटिया थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

14	श्याम देव प्रसाद पिता- खीतू भगत ग्राम- पसही पो0- फरीदपुर थाना- जानीपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			11,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,90,000/- (ग्यारह लाख नब्बे हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13/8/2025

ज्ञापाक 2239 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आमना खातून पति- मो० जलील खान ग्राम- 'मेहसौल चौक' पो०+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	पूनम देवी पति- नरेश ठाकुर ग्राम- भगवतीपुर पो०- भरवारा थाना- सिधवारा जिला- दरभंगा	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	ममता देवी पति-शम्भू पंडित ग्राम- सोनरा पोखर पो०- बेहट थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	सुमित कुमार पिता- राज देव मिर्धा ग्राम- डुमरा पो०- 'राजाराम पट्टी' थाना- आध्रामठ जिला- मधुबनी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

5	अयन बाबू पिता— मो० शमशाद आलम ग्राम— हरिरहा पो०— मखनाहा थाना— आंध्रामठ जिला— मधुबनी	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
6	प्रतिभा कुमारी पिता— रामाशीष महतो ग्राम— नवादा पो०— मधेपुर थाना— मादेपुर जिला— मधुबनी	नी रिप्लेसमेट	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	मोहम्मद लाल बाबू पिता— मोहम्मद बारीक ग्राम— सुपौल पो०— शिवराम थाना— बहेडा जिला— दरभंगा	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
8	महेश कुमार राय पिता— राम चरित्र राय ग्राम+पो०— एकहरी थाना— लदनियाँ जिला— मधुबनी	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
9	शीला देवी पति— अशोक पासवान ग्राम+पो०+थाना— बहादुरपुर जिला— दरभंगा	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	काजल कुमारी पति— सजय यादव ग्राम— नवटोली गोढैला पो०— पटरी बसत थाना— बिशनपुर जिला— दरभंगा	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			₹ 4,30,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000 /— (चार लाख तीस हजार) ₹० के भुगन्नान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—38022630797 खाता धारक का नाम—सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम—डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2240(14)

पटना, दिनांक 13/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे ,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रितेश कुमार पिता- रजय कुमार ग्राम- डुमरिया पो0- नदवाँ थाना- बाढ जिला- पटना	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	राजवीर कुमार पिता- सुरेन्द्र मालाकार ग्राम- सकरवा टोला वार्ड 15 महादेव स्थान मोकामा पो0+थाना- मोकामा जिला- पटना	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	शाबरा खातून पति- स्व0 मो0 मजूरुल हसन ग्राम- मीर टोला पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा	हृदय रोग फीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	रितेश कुमार पिता- शिवपुजन शर्मा ग्राम+पो0- सियारामपुर थाना- पालीगंज जिला- पटना	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			5,35,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 5,35,000/- (पाँच लाख पैंतीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं०...196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2241(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्ण नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अराध्या कुमारी माता- खुसबू देवी ग्राम- सकरी पो०- लालनपुर थाना- इस्लामपुर जिला- नालंदा	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	कान्ति देवी पति- रामस्वरूप ठाकुर ग्राम+पो०- बकरौर थाना- बोधगया जिला- गयाजी	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	धर्मशीला देवी पति- सीताराम प्रसाद ग्राम- भसीन बिघा पो०- तुलसीगढ थाना- चडी जिला- नालंदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	चांदनी कुमारी पिता- विकाश कुमार ग्राम- सेलवे पो०- सकरदास नवादा थाना- वजीरगज जिला- गयाजी	हृदय रोग एमबीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	ममता कुमारी पति- जीतेन्द्र कुमार ग्राम+पो०- सोहमा थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	सगीता कुमारी पति- सतोष कुमार ग्राम- जनकपुर पो0- फतेहपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	विवेकानन्द पिता- रामचंदर प्रसाद ग्राम- सुंदरपुर पो0+थाना- कतरीसराय जिला- नालदा	Nephrectomy + Nephrectomy	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	संतोष साह पिता- सकलदेव साह ग्राम+पो0- बरडीहा तुर्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	गीता देवी पति- तारा सिंह ग्राम- नीमगंज पो0+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालंदा	स्पाइन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	उर्मिला देवी पति- हरी नारायण मेहता ग्राम+पो0- डुमरी थाना- करजाईन जिला- सुपौल	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	निवेदिता देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- दरगाह रोड हिलसा पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	चिरौजी प्रसाद पिता- राम निहोर साह ग्राम- बराढी मुसई टोला पो0+थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
13	मालो देवी पति- स्व० कृष्ण राव ग्राम- न्यू एरिया दशरथा सिपारा वार्ड 30 पो0- अनीसाबाद थाना- बेउर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			9,70,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 9,70,000/- (नौ लाख सत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके
संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424
एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196971द्वारा आहरित कर

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2242(14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1.967.70 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,
डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **06.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनम कुमारी पिता- अनिल कुमार ग्राम+पो०+थाना- औगारी जिला- नालंदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	पूजा कुमारी पति- रोहित रजन ग्राम- चीना कोठी हरिजन कॉलोनी पो०- जी०पी०ओ० थाना- बुद्धा कोलोनी जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	रितु कुमारी पिता- संजू प्रसाद ग्राम+पो०- रामचंद्रपुर थाना- थावे जिला- गोपालगंज	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ **1,75,000/-** (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **196770** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2243(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...1767.70 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

2244(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई0-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक 13/8/2025

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबन सिंह पिता- जगलाल सिंह ग्राम- करमहरी वार्ड 05 पो0- करमहरी थाना- कुछीला जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 126270 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 पत्रकार नगर, कंकडबाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2244(14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

श्री साई अस्पताल कंकड़बाग

वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज

कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राकेश कुमार पिता— स्व० सिद्धनाथ शर्मा ग्राम— टरवां पो०— आरप थाना— नौबतपुर जिला— पटना	Fracture Patella	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिपत्र में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2245(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रहमत आरा पति- मो० आफताब आलम ग्राम- कागजी मोहल्ला पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालंदा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	हीरा प्रसाद सिंह पिता- गजेन्द्र नारायण सिंह ग्राम+पो०- सोनपुरा थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	अजय कुमार रजक पिता- गणेश रजक ग्राम- खास महल शिवपुर पो०- महेदू थाना- सल्लानगंज जिला- पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	मीना देवी पति- स्व० नरेश प्रसाद रजक ग्राम- रामा वाटिका पोस्टल पार्क वार्ड 31 पो०- जी०पी०ओ० थाना- कंकड़बाग जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	विद्यापति सिंह पिता— स्व० परमानन्द सिंह ग्राम+पो०— राजपुर थाना— रघुनाथपुर जिला— सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,90,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,90,000/- (दो लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 440720110000498 खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2246(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक....

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामदेव साह पिता- अनूप साह ग्राम- कमलपुर पो०- सुखासन थाना- अरार जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रामजी राम पिता- मुनीलाल राम ग्राम- लौढिया पो०+थाना- बेलहर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रेणु देवी पति- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- लक्ष्मीनिया वार्ड 14 पो०- लक्ष्मीनिया थाना- ललितग्राम जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अताबुर हरमान पिता- मो० मूसा ग्राम- नजर हाजी टोला पो०- बी सिमरिया थाना- कोढा जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।



5	अमला खातून पति- शेख इमाम ग्राम- सिक्टौर वार्ड 15 पो0- हरपुर थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	नुरसबा खातून पति- जुबेर आलम ग्राम- टुटी पारक वार्ड 05 पो0- पाटकोई हाट थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	सीता देवी पति- विजय प्रसाद ग्राम- जुडकन वार्ड 04 पो0- मडकन थाना- हुसैनगज जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	आमना खातून पति- बाबूजान ग्राम- नरैनापुर वार्ड 10 पो0+थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	कुमारी शोभा सिन्हा पति- नकुल प्रसाद ग्राम- भट्टापर कुशवाहा धर्मशाला पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रूबी देवी पति- सूरज ताती ग्राम- मझवे वार्ड 01 पो0- मझवे थाना- जमुई जिला- जमुई	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
11	लालबाबू महतो पिता- जामुन महतो ग्राम- गुलमाहिया चक सबलपुर वार्ड 10 पो0- सबलपुर थाना- नदी जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	सपना देवी पति- शकर मडल ग्राम- वेनी बहादुरगज वार्ड 09 पो0+थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			8,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्त्रान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2247 (14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि कुमार पिता- स्व० प्रदीप सिंह ग्राम- खैराटाली पो०- भित्तनचक थाना- परसा बाजार जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	गीता देवी पति- मनोज करदार ग्राम+पो०- भिरभीरी थाना- सिकटी जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुभाष सिंह पिता- स्व० राम इकबाल सिंह ग्राम- बेला सिमरी वार्ड 05 पो०- बेला सिमरी थाना- गगौर जिला- खगड़िया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	नीरज कुमार पिता- रामजी प्रसाद ग्राम- अहरापर पो०- मदाछ थाना- चिकसौरा जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मीणा देवी पति- सुरेश कुमार ग्राम- ननौरा पो०- डुमरा थाना- बेलसड जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	राम बालक निराला पिता- स्व० जागेश्वर महतो ग्राम- भटोतर पो०+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	झिझरवती देवी पति- जीवछ यादव ग्राम- झाझरपट्टी डोमन पो०- हुद्रा थाना- खुटौन जिला- मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कैलाश देवी पति- महेद्र प्रसाद सिंह ग्राम- रामपुर रामहर वार्ड 14 पो०- रामपुर रामहर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	कुती देवी पति- बाबूजी सरदार ग्राम- लालगंज तिलाठी वार्ड 14 पो०- लालगंज तिलाठी थाना- छातापुर जिला- सुपौल	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	भरत साह पिता- जगरनाथ साह ग्राम- अमनौर हरनारायण वार्ड 07 पो०+थाना- अमनौर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,40,000/- (सात लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2248(14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196770 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **06.08.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार पिता- सुरेद्र प्रसाद ग्राम+पो0- सिंहपुर हरैया थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	विकाश सक्शेना पिता- कपिल यादव ग्राम- खानपुर पो0- इब्राहिमपुर थाना- बिद जिला- नालदा	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	राजीव कुमार पिता- विद्याधर मेहता ग्राम- फुलवरिया 01 तारा अड्डा पो0- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	आशा देवी पति- रविद्र राय ग्राम- लावापुर महनार पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			4,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,10,000/- (चार लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2249 (14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 1969.70 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई बी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक . ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविंद्र कुमार पिता- प्रेमनाथ पटेल ग्राम+पो0- नवानगर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सजू देवी पति- गणेश राय ग्राम- तेरसिया पो0- रत्नाकर थाना- गगाब्रिज जिला- वैशाली	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	आशा देवी पति- श्रवण प्रसाद केशरी ग्राम- राठी प्लास्टिक के गली भिनक का चौराहा पटना सिटी पो0- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2250(14)

पटना, दिनांक 13/8/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मालती देवी पति— तारकेश्वर कुमार ग्राम— मारपा मोहन पो०— देवकुलिया थाना— फेनहरा जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 18एफ2023/009626	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	चानो देवी पति— रजीत साह ग्राम+पो०— बेलहा थाना— फुलपरास जिला— मधुबनी केस फाईल न०— 19एफ2025/003270	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मास्टर मो० डैनियल अख्तर पिता— इरफान अख्तर ग्राम— मेन रोड सदपुरा पो०— रमना थाना— काजी मोहम्मदपुर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2025/003805	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	मो० मोईन पिता— मेहदी हुसैन ग्राम— चक अब्दुल वाहिद मझौलिया रोड पो०— प्रधान डाकघन थाना— काजी मोहम्मदपुर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2025/003312	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सुधीर कुमार मिश्रा पिता— दशरथ मिश्रा ग्राम— सोखरा-02 पो0— बरौनी थाना— फुलवरिया जिला— बेगूसराय केस फाईल न0— 19एफ2025 / 001299	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
6	पूनम रूपनेश्वर शर्मा पति— रूपनेश्वर शर्मा ग्राम— मिश्रौलिया पो0— चदनपट्टी थाना— सकरा जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न0— 11एफ2024 / 020657	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	जनार्दन सिंह पिता— रामबालक सिंह ग्राम— रामदीरी नकटी पो0— नकटीटोला थाना— मटीहानी जिला— बेगूसराय केस फाईल न0— 19एफ2024 / 005926	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	रामचन्द्र राय पिता— सूरज राय ग्राम— मुलसीनगर पो0— छतौनी थाना— तरियानी जिला— शिवहर केस फाईल न0— 19एफ2025 / 003140	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
9	पवन कुमार महतो पिता— गोपाल महतो ग्राम+पो0+थाना— बिहारीगज जिला— मधेपुरा केस फाईल न0— 19एफ2024 / 003708	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	विवेकी कुमार पिता— विनोद कुमार साह ग्राम— गिद्धा फुलवरिया उर्फ भगवानपुर पो0— सुहईगढ थाना— महिन्दवारा जिला— सीतामढी केस फाईल न0— 19एफ2025 / 002930	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
11	मास्टर युवराज कुमार पिता— दिनेश राम ग्राम— सकरी सरैया थाना— कुढनी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— 19एफ2025 / 003851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मास्टर प्रशांत कुमार पिता- दीनानाथ पाडेय ग्राम- सितुआही पो0- करनाल थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/004156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सविता देवी पति- राजाराम चौधरी ग्राम+पो0+थाना- मझौल जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2025/002826	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	कमलेश साहू पिता- स्व0 जागेश्वर साहू ग्राम- सालेपुर पो0+थाना- सिधिया जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 11एफ2023/012932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	शिव कुमार झा पिता- राम बचन झा ग्राम- देकुली वार्ड 14 पो0- देकुली थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 11एफ2024/014218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मालती देवी पति- सजय सिंह ग्राम- बराही हरिराम पो0- डुमरी खुर्द थाना- मजोरगज जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2024/002048	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	मुन्नी खातून पति- सदरे आलम ग्राम- बारमोत्रा पो0- लक्ष्मीनिया थाना- बहुआ जिला- सुपौल केस फाईल न0- 19एफ2024/000032	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	विवेक रजन पिता- नागेद्र पाडेय ग्राम- पोखरैरा पो0- कुशी थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केई/82335	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

19	रीता देवी पति- राम गियान यादव ग्राम+पो0- बिष्णुपुर थाना- बेला जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025/002314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			12,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,30,000/- (बारह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC. Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2251(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार पिता- कमलदेव शर्मा ग्राम+पो०- गोपालपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196770 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-00030400000914 खाता धारक का नाम- "Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2252(14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196780 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सुनील यादव पिता- बसावन यादव ग्राम- जासो वार्ड 42 पो0- बक्सर थाना- मुफसिल जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मास्टर सक्षम कुमार पिता- चन्दन कुमार सिंह ग्राम- उसुरी कला वार्ड 09 पो0- उसुरी कला थाना- इसुआपुर जिला- सारण	हृदय रोग भीएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2253(14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० फारुक पिता— मो० जलील ग्राम— मखदुमपुर उर्फ ताल बेरई पो०+थाना— गोरौल जिला— वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/—(एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०— 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम—“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम.. RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

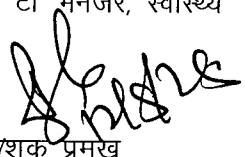
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2254(14)

पटना, दिनांक 13/8/2015

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No. 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.8.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद कुमार मेहता पिता- सूर्य नारायण मेहता ग्राम- निर्मली पो0- सस्कृत निर्मली थाना- बलुआ बाजार जिला- सुपौल	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मुराति देवी पति- विजय प्रसाद ग्राम+पो0- सैदसराय थाना- गरखा जिला- सारण	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	रीता देवी पति- राजकिशोर साह ग्राम+पो0- चकलहदाद थाना+जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं0- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2255 (14)

पटना, दिनांक

13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **06.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रामदयाल राय पिता- सीधनाथ राय ग्राम+पो०- जमीरा थाना- मुफसिल जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लाल भगत पिता- सागर भगत ग्राम- मलिलकपुर पो०- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लालधारी पिता- शिव मदार प्रसाद ग्राम+पो०- जमीरा थाना- मुफसिल जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	राम परवेश राय पिता- सूबा राय ग्राम+पो०- जमीरा थाना- मुफसिल जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रामपडी देवी पति- महेद्र पासवान ग्राम- तारपर पो०- सिगथु थाना- मानपुर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लक्ष्मीनिया देवी पति- नरेश चौहान ग्राम- तारपर पो0- सिगथु थाना- मानपुर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	शिव कुमारी देवी पति- तपेश्वर राम ग्राम- हरदास टोला पो0- नरही चडी थाना- चडी जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	सुनीता जायसवाल पति- गजेन्द्र प्रसाद जायसवाल ग्राम- महनार गंगा रोड पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सगीता देवी पति- सतोष शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	शकर शर्मा पिता- रामचरण शर्मा ग्राम-सेलापुर पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	कौशलेन्द्र कुमार पिता- स्व0 प्रदुमन शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	गीता देवी पति- रामायण शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	रामदिनेश शर्मा पिता- कमलदेव शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	इन्द्रदेव चौधरी पिता- गोपाल चौधरी ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

15	नरेन्द्र शर्मा पिता- चन्द्रिका शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	सजू देवी पति- नरेन्द्र शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2256(14)

पटना, दिनांक 13/8/2023~



प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...../196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक. .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **06.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सुगिया देवी पति- चन्द्रिका ठाकुर ग्राम- राघोपुर पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	बीडीया देवी पति- कामेश्वर राय ग्राम- बेचू टोला सदीसोपुर पो०- सदीसोपुर थाना- बिहटा जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	महानद ठाकुर पिता- बिशुनदेव ठाकुर ग्राम- तारेगना डीह पो०+थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	इन्दु देवी पति- विजय सिंह ग्राम- जैबर पो०- नादघाट थाना- गौरीचक जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	चिता देवी पति- रामनाथ पासवान ग्राम- राघोपुर पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लालदेव साव पिता- हरदेव साव ग्राम- राघोपुर पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2257(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनाक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० अनवर आलम पिता- मो० मसूर आलम ग्राम+पो०- अलीनगर पी थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	तालिया फरहाना पिता- जहरूल हक ग्राम- बाजिदपुर पो०+थाना- बाढ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	हलीम अख्तर शाद पिता- मो० अख्तर ग्राम- सैयद टोला काको पो०+थाना- काको जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सैयद सकील अहमद पिता- सैयद अब्दुल आलीम ग्राम- बाजिदपुर पो०+थाना- बाढ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	गुलाम रसूल असारी पिता— इस्माईल असारी ग्राम— बीवीपुर पो0— काकी थाना— काको जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	मो0 शौकत कुरैशी पिता— स्व0 मो0 मोहम्मद बशीर ग्राम— समनपुरा जारा बाजार मदरसा गली पो0— बी0वी0 कॉलेज थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	राम प्यारी देवी पति— श्रवण महतो ग्राम— बाहरी धवलपुरा गोप टोली पो0— मालसलामी थाना— बेगमपुर जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	मो0 मकसूद आलम पिता— मो0 एकलाख आलम ग्राम— बाजिदपुर पो0+थाना— बाढ जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196770 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं० 440030110000048 खाता धारक का नाम—“वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस ” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज

द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2259(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,
आध्या हार्ट आशियाना मोड,
आशियाना दीघा रोड,
पटना 800025

पटना, दिनांक. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 06/08/2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज कुमार साहनी पिता- राम शर्म साहनी ग्राम- बिशुनपुर पकड़ी पो०- पकरी थाना- बेउर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रविंद्र कुमार सिंह पिता- स्व० रामदेव सिंह ग्राम- रवौच पो०+थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 20,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **50200043954418** खाता धारक का नाम- 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम- LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0000120** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2260 (14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.../96970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **06.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कलावती देवी पति-कामेश्वर पासवान ग्राम-छोटका चदा पो0-कटकरीया थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	चन्द्रवती देवी पति-हरेन्द्र साव ग्राम-काजीचक पो0-कटकरीया थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मो० जान असारी पिता-मो० सनाउल्लाह असारी ग्राम-काजीचक पो0-कटकरीया थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अवधेश कुमार पिता-सुखदेव यादव ग्राम-काजीचक पो0-कटकरीया थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	कृष्णा चौधरी पिता-गंगा चौधरी ग्राम-सुरौधा कोलनी पो0+थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	बसती देवी पति-जगनारायण प्रसाद ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	मीना देवी पति-ललन चौहान ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	जहदा खातुन पति-अब्दुल हाफिज ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	मनोरमा देवी पति-ललन नोनीया ग्राम-कुल्हरीया पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	दीन दयाल चौधरी पिता-रोहन चौधरी ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	खुर्शीदा खातुन पति-मोहम्मद रहमान ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	राज कुमारी देवी पति-विष्णु चौधरी ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	चिन्ता देवी पति-परमानन्द राय ग्राम-अकीलबाद पो0-गढाई सराई थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	गिरजा देवी पति-राम प्रसाद राय ग्राम-अकीलाबाद पो0-गढाई सराई थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	मीना देवी पति-जगन्नाथ राय ग्राम-अकीलाबाद पो0-गढाई सराई थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	मोती लाल राय पिता-मंगल राय ग्राम-रायडीह पो0-मीनापुर राइ थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	रामाधार राय पिता-अवधेश राय ग्राम-कोईलवर पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	सरस्वती देवी पति-राजेश महतो ग्राम-कोईलवर पो0+थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	शीला देवी पति-हरिद्वार ठाकुर ग्राम+पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	रामफा देवी पति-फागुनी सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	कौशल्या देवी पति-बलदेव राय ग्राम-मदारपुर पो0-इजरा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	राम शकिला देवी पति-वीरेदर सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	ललिता देवी पति-अनुप सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना हाजीपुर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	महेश साह पिता-असरिफ साह ग्राम-गौसपुर इजरा पो0-इजरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	सुनीता देवी पति-रघुवीर सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	सुनारो देवी पति-राम लोटन सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	जगलाल सहनी पिता-उचित सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	शिवजी सहनी पिता-हीरा सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	सुमित्रा देवी पति-रामजी सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

30	शांति देवी पति-राज बल्लभ सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	रीता देवी पति-ललित सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना हाजीपुर जिला-वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	सीता देवी पति-गणेश साह ग्राम-गौसपुर इजरा पो0-गौसपुर इजरा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	जगिया देवी पति-धनई सहनी ग्राम-पहेतिया पो0-धरहरा थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
			₹ 3,30,000 / -	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000 / - (तीन लाख तीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **196970** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE. PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2261(14)

पटना, दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196970... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख